न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12 / 2024

स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मुख्य कार्यालय वेस्टर्न एज आई, मेट्रो कैश एवं केरी के उपर, बोरिवली ईस्ट, मुम्बई (प्रार्थी वितीय संस्था)

वनाम

1. श्री अतुल विश्वकर्मा पुत्र श्री दया शंकर विश्वकर्मा जाति खाती निवासी वार्ड संख्या 8 मीणो का मोहल्ला, बोराज, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू (ऋणी)
2. श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री दया शंकर विश्वकर्मा जाति खाती निवासी वार्ड संख्या 8 मीणो का मोहल्ला, बोराज, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू (सहऋणी / बंधक कर्ता)
3. श्री अतिबल कुमार पुत्र दया शंकर विश्वकर्मा जाति खाती निवासी वार्ड संख्या 8 मीणो का मोहल्ला, बोराज, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू (सहऋणी)
4. श्री दया शंकर विश्वकर्मा पुत्र श्री श्याम विश्वकर्मा जाति खाती निवासी वार्ड संख्या 8 मीणो का मोहल्ला, बोराज, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू (सहऋणी)
5. श्री शिव विश्वकर्मा पुत्र श्री दया शंकर विश्वकर्मा जाति खाती निवासी वार्ड संख्या 8 मीणो का मोहल्ला, बोराज, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू (जमानती)

(अप्रार्थीगण)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

निर्णय दिनांक :– 10.7..2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल 20,00,000 / – रूपये दिनांक 27.2.2023 को स्वीकृत की गई। उक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थी सख्या 2 द्वारा अपनी अचल सम्पति आवासीय रूपान्तरित ख0न0 3118 / 227 में स्थित भूखण्ड ग्राम बोराज तहसील, मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू जिसका क्षैत्रफल 200 वर्गगज पर प्रार्थी के यहां मोरगेज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नही किये जाने से खाते को दिनांक 23.10.2023 को विधिनुसार एनपीए घोषित किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय संस्था ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.11.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत पार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के विद्वान अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को 20.00.000/– रूपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 ने उपरोक्त वर्णित सम्पति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अप्रर्थीगण को दिनांक 01.11.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि भुगतान भी नही किया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 के समर्थन मे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री दया शंकर विश्वकर्मा जाति खाती (बंधक कर्ता) की बंधक सम्पति आवासीय रूपान्तरित भूमि ख0न0 3118/227 में स्थित भूखण्ड ग्राम बोराज तहसील, मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू जिसका क्षैत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दूदू को प्रेषित कर लिखा जावे कि उक्त सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबंद करें। आदेश की प्रति हस्ब [illegible] जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.7..2024 को सरे इजलास सुनाया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
दूदू (राज0)